

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मिरजापुर।
दिनांक: जनवरी 13 2016

विषय: जिलाधिकारी,
मिरजापुर।
मेसर्स इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि०, मण्डलीय कार्यालय इलाहाबाद, पाँचवा तल इन्दिरा भवन सिविल लाइन, इलाहाबाद द्वारा ग्राम-बामी, थाना व तहसील-लालगंज, मिरजापुर के खसरा/आराजी नं०-1743 व 1744 में न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु NOC प्रेषित किया जाना।
आपका पत्रांक: 673(i)/आ०लि०-अनापत्ति प्रमाण पत्र, दि०: 05-01-2016

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप अपने संदर्भित पत्रांक: 673(i)/आ०लि०-अनापत्ति प्रमाण पत्र, दि०: 05-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके आधार पर अग्निशमन विभाग के नियमानुसार आवेदक के ऑन लाइन प्रार्थना पत्र UID No-2016/17409/MZR/MIRZAPUR/235/DD, दिनांक: 12.01.2016 के अनुसार न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आया:-

- 1- प्रस्तावित स्थल ग्राम-बामी, थाना व तहसील-लालगंज, मिरजापुर के खसरा/आराजी नं०-1743 व 1744 में पर स्थित है।
 - 2- प्रस्तुत मानचित्र में बफर स्ट्रीप की व्यवस्था प्रदर्शित की गई है।
 - 3- प्रस्तावित स्थल पर प्रवेश व निकास द्वार स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है।
 - 4- प्रस्तावित आउटलेट में 6मीटर ऊँचाई का कैनोपी का प्रदर्शन किया गया है।
 - 5- प्रस्तावित आउटलेट के प्रस्तुत मानचित्र में जनरेटर एवं कार्यालय स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।
 - 6- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रिक हाईटेन्शन वायर नहीं गुजरता है।
 - 7- प्रस्तावित आउटलेट में 20KL.MS-A, 20KL.HSD-B, क्षमता के एक-एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक डाले जाने का प्राविधान प्रदर्शित किया गया है जो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित पाया गया।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-**
- 1- पेट्रोलियम रूल्स 2002 के रूल्स 117 के सब रूल 1,2,3 का पालन किया जाय।
 - 2- पेट्रोलियम रूल्स 2002 के रूल्स 117 के सब रूल 4(i) के अनुसार मानक के अनुसार पोर्टेबल डी०सी० पी०फायर एक्सटिंग्यूशर लगाया जाय।
 - 3- पेट्रोलियम रूल्स 2002 के सब रूल 4(ii) 117 के अनुसार अन्य जगहों पर अग्निशमन की व्यवस्था कराई जाय।
 - 4- वेन्ट पाइप में पीतल का कैप लगाया जाय।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं के अधीन PROVISIONAL अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात इस कार्यालय से सम्पर्क कर अग्निशमन व्यवस्थाएँ मानक के अनुसार पूर्ण कराके स्टोरेज व बिक्रय का कार्य प्रारम्भ करेंगे।
संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

13.01.16
चन्द्र शंकर शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मिरजापुर।

प्रतिलिपि:

- 1- आवेदक मे०-इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि०, मण्डलीय कार्यालय इलाहाबाद, पाँचवा तल इन्दिरा भवन सिविल लाइन, इलाहाबाद को एक प्रति इस आशय से प्रेषित है कि वे दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 2- अग्निशमन अधिकारी, मिरजापुर को सूचनार्थ एवं रिकार्ड में रखने हेतु।